/

/

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :उच्च न्यायालय ने इन कारणों की सराहना नहीं की है कि प्राधिकरण कब्जा क्यों नहीं ले सका।अधिग्रहण की कार्यवाही अंतर्गत उच्च न्यायालय के साथ-साथ उसके बाद इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के अनुसार अधिग्रहण की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया है।इसलिए, अधिग्रहण की कार्यवाही चुनौती के दायरे अंतर्गत थी और मुकदमे का विषय था।इसलिए, जब अधिग्रहण की कार्यवाही मुकदमेबाजी का विषय थी और उसके कारण प्राधिकरण प्रश्न भूमि का कब्जा नहीं ले सकता था और इस तरह अधिग्रहण नहीं कर सकता था।

/

/

832 ए.

833

भूमि अधिग्रहण संग्राहक (दक्षिण), नई दिल्ली बनाम सुरेश बी. कपूर [एम. आर. शाह, जे.] ए.

कब्जा भूस्वामियों के पक्ष में नहीं हो सकता है, विशेष रूप से, जब अधिग्रहण की कार्यवाही के खिलाफ इस न्यायालय में अपील की गई हो।**[**पैरा **6.2]**

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य।

(2020) 8 एससीसी **129:[2020] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1-**अनुसरण।

/

बालाक राम ग्लुप्ता बनाम भारत संघ **1985** की रिट याचिका संख्या **1639;** ज्ञानेंद्र सिंह बनाम भारत संघ और

ओआरएस। डब्ल्यू. पी. (ग) 2014 की सं. 1393; पुणे नगरपालिका

निगम और ए. एन. आर. वी.हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी

और ओआरएस। (2014) 3 एससीसी 183:[2014] 1 एस. सी. आर. 783-संदर्भित।

/

संदर्भित निर्णय

[2014] 1 एससीआर **783**

संदर्भित

पैरा **2.4**

[2020] 3 एससीआर **1**

पीछा किया।

पैरा **3**

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 8197।

2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 2163 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 06.07.2015 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, अपीलार्थियों की अधिवक्ता।

/

ऋषभ नगर, राघव नगर, गोपाल सिंह चौहान, दीपक गोयल, राजीव घवाना, सुश्री अक्षिता छतवाल, रंजीत सिंह, टी. वी. एस. राघवेंद्र श्रेयस, सुश्री गायत्री गुलाटी, सिद्धार्थ वासुदेव, सुश्री सुनीता ओझा, आकांक्षा सिंह, रवि भरुका, अंकित अग्रवाल, नितिन मिश्रा, ईशान शर्मा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. 2015 की लिखित याचिका (सी) संख्या 2163 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात है-मूल रिट याचिकाकर्ता और घोषणा की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के आधार पर व्यपगत माना जाता है।

/

/

/

[2022] 15 एस सी आर।

पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित), भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. यह विवाद नई दिल्ली के गांव छतरपुर में 12 बीघा और 11 बिसवों की खसरा संख्या 717 (3-02), <ID4 (3-05), 756/2/1 (2-17) और 757/1 (3-07) में शामिल भूमि के संबंध में है।भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "अधिनियम, 1894" के रूप में संदर्भित) की धारा 4 के अंतर्गत एक अधिसूचना 25.11.1980 पर जारी की गई थी, जिसके बाद अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना/घोषणा दिनांक 07.06.1985 जारी की गई थी।

/

2.1 ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अधिग्रहण कार्यवाही के अंतर्गत कुछ प्रभावित पक्षों ने "बालक राम गुप्ता बनाम" शीर्षक से 1985 की रिट याचिका संख्या 1639 दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी थी। भारत संघ ", याचिकाओं के किस समूह को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.1988 के निर्णय और आदेश के माध्यम से अनुज्ञात गई थी और अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत घोषणा को रद्द कर दिया गया था।कि इस अवधि के दौरान, इस न्यायालय ने आक्षेपित अधिग्रहण कार्यवाही पर विचार करते हुए

/

/

भारत संघ बनाम गुरदीप सिंह उबान के मामले में कहा गया कि

बालक राम गुप्ता (उपर्युक्त) में सुनाए गए निर्णय की राहत केवल याचिकाकर्ताओं पर लागू होगी और यह पुनर्निर्धारण में निर्णय नहीं होगा।इस न्यायालय ने आगे गुरदीप सिंह उबन (ऊपर) में कहा कि

बालक राम गुप्ता (ऊपर) में अधिसूचना को रद्द करना माना नहीं जा सकता है।

पूरी कार्यवाही को रद्द करने के रूप में।2.2 ऐसा प्रतीत होता है कि कभी-कभी अगस्त, 1999 में गुरदीप सिंह उबन (ऊपर) मामले में निर्णय की घोषणा के बाद, कुछ भूमि मालिकों ने अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देते हुए फिर से रिट याचिकाएं दायर कीं।उच्च न्यायालय ने 19.05.2005 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से उक्त रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।उस अवधि के दौरान, तत्कालीन भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने एक पुरस्कार पारित किया।गुरदीप सिंह उबन (उपर्युक्त) दिनांक 1 के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

और आदेश को भूमि मालिकों द्वारा 2005 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 26537 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।इस न्यायालय ने 08.02.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से उक्त विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। कि इसके बाद प्राधिकरण ने 30.12.2013 पर न्यायालय के साथ प्रश्न भूमि के संबंध में मुआवजा जमा किया।2.3 कि इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल रिट याचिकाकर्ता ने फरवरी, 2015 के महीने में उच्च न्यायालय के समक्ष एक घोषणा के लिए रिट याचिका दायर की कि ए में भूमि के संबंध में अधिग्रहण

/

/

/

/

835

भूमि अधिग्रहण संग्राहक (दक्षिण), नई दिल्ली बनाम सुरेश बी. कपूर [एम. आर. शाह, जे.] ए.

अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत यह तर्क देते हुए प्रश्न समाप्त माना जाता है कि न तो प्रश्न भूमि का कब्जा लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है।

2.4 हालाँकि, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से नोट किया है कि मुआवजा न्यायालय में जमा कर दिया गया है, लेकिन प्रश्न भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और ज्ञानेंद्र सिंह बनाम के मामले में अपने पहले के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

/

भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू. पी. (ग) 2014 की सं. 1393 पर निर्णय लिया गया -

23.09.2014 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि जब तक और जब तक इच्छुक व्यक्तियों को मुआवजा नहीं दिया जाता है, तब तक अदालत में केवल मुआवजे की जमा राशि पर्याप्त नहीं होगी और इसे भुगतान किया गया माना नहीं जा सकता है।मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए

/

पुणे नगर निगम और अन्र. बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी और अन्य, (2014) 3 एस. सी. सी. 183, द्वारा उच्च न्यायालय

आक्षेपित निर्णय और आदेश ने उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात है और घोषणा की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत व्यपगत माना जाता है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश वर्तमान अपील का विषय है।

/

3. अपीलार्थी की ओर से पेश वकील सुश्री सुजीता श्रीवास्तव ने जोरदार तरीके से कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश इंदौर विकास के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के बिल्कुल विपरीत है

/

प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य, (2020) 8 एससीसी 129।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, प्रश्न भूमि के संबंध में मुआवजा न्यायालय में जमा किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए एक बार न्यायालय में मुआवजा जमा होने के बाद, अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) में उल्लिखित शर्तों में से एक को पूरा किया जाता है और इसलिए, प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण को समाप्त घोषित नहीं किया जा सकता था।

/

3.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी, माननीय उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि अधिग्रहण की कार्यवाही चुनौती के अंतर्गत थी, जिसके खिलाफ इस माननीय न्यायालय में अपील की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाली कार्यवाही के लंबित होने के कारण, कब्जा नहीं लिया जा सका और इसका लाभ भूमि मालिकों को नहीं दिया जा सका।

/

/

836

/

[2022] 15 एस सी आर।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय विचार किया जाना चाहिए था।3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले में इस न्यायालय का निर्णय

पुणे नगर निगम और ए. एन. आर. (ऊपर) को बाद में बनाया गया है।

इंदौर के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया

विकास प्राधिकरण (ऊपर)।

/

3.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए।

4. प्रतिवादी नंबर 1-मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री राजीव घवाना ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

/

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि अपीलार्थी की ओर से दायर काउंटर में उल्लेख किया गया है, प्रश्न भूमि का कब्जा नहीं लिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से कहा गया है कि जब तक और जब तक कब्जा नहीं लिया जाता है, तब तक मुआवजा, भले ही वह किसी न्यायालय में या किसी निर्दिष्ट खाते में जमा किया गया हो, अपीलार्थी/प्राधिकरण की सहायता के लिए नहीं आएगा।

/

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि ज्ञानेंद्र सिंह (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय , जिस पर उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय भरोसा किया है, उसके खिलाफ अपील को इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 31.08.2016 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

/

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता को कभी भी भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा मुआवजे की पेशकश या निविदा नहीं दी गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर यह खुलासा करने में विफल रहा है कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा किसी भी समय मुआवजे की पेशकश की गई थी और क्या उसे इसका भुगतान किया गया था या नहीं।

/

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब न तो कब्जा लिया गया था और न ही वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1-मूल रिट याचिकाकर्ता को मुआवजे का भुगतान किया गया था, तो माननीय उच्च न्यायालय ने यह घोषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत व्यपगत माना जाता है।

/

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

/

837

भूमि अधिग्रहण संग्राहक (दक्षिण), नई दिल्ली बनाम सुरेश बी. कपूर [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

6. हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को देख चुके हैं।आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत केवल इस आधार पर समाप्त हो गया है कि प्रश्न भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि प्राधिकरण की ओर से यह मामला था कि न्यायालय में मुआवजा जमा किया गया था, इसके बाद उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि यह अधिग्रहण यह देखते हुए समाप्त माना गया है कि न्यायालय में जमा किए गए मुआवजे का प्रश्न केवल उस मामले में उत्पन्न होता है जहां कब्जा ले लिया गया है।कि इसके बाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानेंद्र सिंह (उपरोक्त) के मामले में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक और जब तक इच्छुक व्यक्तियों को मुआवजा नहीं दिया जाता है, तब तक अदालत में केवल मुआवजे की जमा राशि पर्याप्त नहीं होगी और इसे भुगतान किया गया माना नहीं जा सकता है।

/

/

6.1 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण को व्यपगत घोषित कर दिया है, हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ज्ञानेंद्र सिंह (ऊपर) के मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय और यहां तक कि आक्षेपित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के बिल्कुल विपरीत है।पैराग्राफ 365 और 366 में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः-

/

/

“365. परिणामस्वरूप, पुणे नगर निगम में निर्णय दिया गया।[पुणे नगर निगम।v. हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी, (2014) 3 एस. सी. सी. 183] को इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है और अन्य सभी निर्णय जिनमें पुणे नगर निगम शामिल है।[पुणे नगर निगम।बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी, (2014) 3 एस. सी. सी. 183] का पालन किया गया है, जिन्हें भी

खारिज कर दिया गया है।श्री बालाजी नगर आवासीय एसोसिएशन में निर्णय। [श्री बालाजी नगर आवासीय संघ बनाम टी. एन. राज्य, (2015) 3 एस. सी. सी. 353] को अच्छा विधि निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है, इसे खारिज कर दिया जाता है और इसके बाद के अन्य निर्णयों को भी खारिज कर दिया जाता है।इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र [(2018) 3 एस. सी. सी. 412] में, धारा 24 (2) के परंतुक के संबंध में पहलू और क्या "या" को "न" के रूप में पढ़ा जाना है या "और" के रूप में विचार के लिए नहीं रखा गया था। इसलिए, वर्तमान निर्णय में चर्चा के आलोक में वह निर्णय भी प्रबल नहीं हो सकता है।

/

/

/

366. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए**,** हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैंः

366.1.धारा 24 (1) (ए) के प्रावधानों के तहत यदि 2013 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के अनुसार पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो कार्यवाही अंतर्गत कोई चूक नहीं होती है। 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मुआवजे का निर्धारण किया जाना है।

/

366.2.यदि न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पुरस्कार पारित किया गया है, तो कार्यवाही 1894 अधिनियम के अंतर्गत 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुसार जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है।

/

366.3.कब्जा और मुआवजे के बीच धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की मानित समाप्ति तब होती है जब उक्त अधिनियम के शुरू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है।दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, तो मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है।इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं है।

/

/

366.4.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में "भुगतान" अभिव्यक्ति में न्यायालय में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है।जमा न करने का परिणाम धारा 24 (2) के परंतुक में प्रदान किया गया है, यदि इसे अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 1894 अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के अंतर्गत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत ब्याज दिया जा सकता है।क्षतिपूर्ति (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है।पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न करने के मामले में, 2013 के अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान 1894 के अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है।

/

/

/

839

भूमि अधिग्रहण संग्राहक (दक्षिण), नई दिल्ली बनाम सुरेश बी. कपूर [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

366.5.यदि किसी व्यक्ति को 1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) के अंतर्गत प्रदान किए गए मुआवजे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसके लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि भुगतान न करने या न्यायालय में मुआवजे को जमा न करने के कारण धारा 24 (2) के अंतर्गत अधिग्रहण समाप्त हो गया है।भुगतान करने का दायित्व धारा 31 (1) के अंतर्गत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है।जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत समाप्त हो गई थी।

/

366.6.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान को धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, न कि धारा 24 (1) (बी) के हिस्से के रूप में।366.7.1894 के

अधिनियम के अंतर्गत कब्जा लेने का तरीका और जैसा कि धारा 24 (2) के अंतर्गत विचार किया गया है, जांच रिपोर्ट/ज्ञापन तैयार करना है।एक बार जब 1894 के अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाता है, तो राज्य में निहित भूमि को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत विनिवेश का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24 (2) के अंतर्गत कोई चूक नहीं होती है।

/

/

366.8.धारा 24 (2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब अधिकारी 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा करने और मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों।न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के निर्वाह की अवधि को पाँच साल की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।

/

/

366.9.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की समाप्त कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न उठाने के लिए कार्रवाई के नए कारण को जन्म नहीं देती है।धारा 24 2013 अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि पर लंबित कार्यवाही पर लागू होती है अर्थात 1-1-2014।यह पुराने और समय-बाधित दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और न ही समाप्त कार्यवाही को फिर से खोलता है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए न्यायालय के बजाय राजकोष में कार्यवाही या मुआवजे के जमा करने के तरीके को फिर से खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर प्रश्न उठाने की अनुमति देता है। "

/

इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले में, पुणे नगर निगम के मामले में इस न्यायालय का निर्णय और

/

अन्र. (ऊपर) को विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है।

840

/

[2022] 15 एस सी आर।

6.2 अब, जहाँ तक प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से यह निवेदन है कि ज्ञानेंद्र सिंह (उपरोक्त) के मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय , जिस पर उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय भरोसा किया है, जिसके खिलाफ इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई है, शुरू में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रासंगिक समय पर जब इस न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दी गई थी, तो इस मुद्दे का निपटारा नहीं किया गया था, जिसे इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सुलझा लिया गया है।इन परिस्थितियों अंतर्गत , इंदौर के मामले अंतर्गत इस न्यायालय के फैसले के आलोक अंतर्गत ज्ञानेंद्र सिंह (उपरोक्त) के मामले अंतर्गत उच्च न्यायालय के फैसले और/या उक्त आदेश के खिलाफ अपील को खारिज करने पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

/

/

विकास प्राधिकरण (ऊपर)।यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी नहीं

इन कारणों की सराहना की कि प्राधिकरण कब्जा क्यों नहीं ले सका।अधिग्रहण की कार्यवाही अंतर्गत उच्च न्यायालय के साथ-साथ उसके बाद इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के अनुसार अधिग्रहण की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया है।इसलिए, अधिग्रहण अंतर्गत कार्यवाही चुनौती के अधीन थी और मुकदमे का विषय था।इसलिए, जब अधिग्रहण की कार्यवाही मुकदमे का विषय थी और उसके कारण प्राधिकरण प्रश्न भूमि का कब्जा नहीं ले सकता था और इस तरह कब्जा नहीं लेना भूमि मालिकों के पक्ष में नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जब अधिग्रहण की कार्यवाही के खिलाफ इस न्यायालय में अपील की गई हो।

/

/

7. उपर्युक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से, संविधान पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए

इस न्यायालय ने इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) के मामले में,

आक्षेपित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अस्थिर है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश रद्द किए जाने और दरकिनार किए जाने के योग्य हैं और तदनुसार रद्द कर दिए जाते हैं और दरकिनार कर दिए जाते हैं।

/

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

/

/

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

/